

प्रेषक,

अनिल कुमार-VII
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०-18, एटा।
(ID No-UP6452)

सेवा में,

श्रीवान महानिबंधक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा:

माननीय जनपद न्यायाधीश,
एटा।

विषय-

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक संख्या-9691/IV-F-
82(Pension)/Admin.(A) Dated, 16.07.2024 में G.O.
No.14/2024/sa-3-243/X-2024/301(1)/2024 दिनांकित
28.06.2024 सपठित G.O.No.20/2024/sa-3-276/X-
2024/301(1)/2024 दिनांकित 11.07.2024 के माध्यम से पत्र
गये पुरानी पेंशन योजना अथवा नवीन पेंशन योजना के विकल्प के संबंध
में।

पत्रांक संख्या-

दिनांक-

महोदय,

ससम्मान निवेदन करना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा
उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से समस्त संबंधित न्यायिक अधिकारीगण से पुरानी पेंशन योजना
अथवा नवीन पेंशन योजना का विकल्प मांगा गया है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प
भरकर विकल्प पत्र इस याचना के साथ प्रस्तुत कर रहा है कि उक्त प्रार्थनापत्र मय विकल्प
पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर।

1991/XV(Civ)D/2024
No. Dt. 04.09.2024
Etah Judgeship, Etah
FORWARDED

Chin...
District Judge 04/09/24
Etah
04.09.2024

प्रार्थी,

Anil Kumar
04/09/24

(अनिल कुमार-VII)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं०-18, एटा।
(ID No-UP6452)
04.09.2024

संलग्नक:-

विकल्प पत्र